रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29012022-232994
SG-DL-E-29012022-232994

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/माघ 8, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 400
No. 51]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/MAGHA 8, 1943	[N. C. T. D. No. 400

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

सं. फा. (2)/डीएचई/(9)(1)/डीएसयु/2015–16/567.—दिल्ली खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (2020 का दिल्ली अधिनियम 01) की धारा (29)के साथ पठित धारा (42) की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, दिल्ली की निम्नलिखित संविधियों को बनाते है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इन संविधियों को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, दिल्ली (प्रथम) संविधि, 2021 कहा जाएगा ।

(2) ये अधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन संविधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) ''खेल और शैक्षिक परिषद'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय की खेल और शैक्षिक परिषद से है।

(ख) ''अकादमिक स्टाफ'' का अभिप्राय कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियों से है जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारी होने के लिए संविधियों द्वारा नामित हैं।

(ग) ''बोर्ड'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड से है।

(घ) ''कैंपस'' का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्देश, या अनुसंधान, या दोनों की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है।

(ड) ''योग्यता'' का अभिप्राय रोजगार की भूमिका के सफलतापूर्वक तथा कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु अर्जित ज्ञान तथा प्रज्ञता का चरित्र के विकास में उपयोग करने से है।

(च) ''केंद्र'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय की सामुदायिक आउटरीच और विस्तार सेवाओं के लिए केंद्र से है।

(छ) ''प्रमाणपत्र'' का अभिप्राय दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये ऐसे सम्मान से है जो यह प्रमाणित करता है कि प्राप्तकर्ता ने निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

(ज) ''कुलाधिपति'', ''कुलपति'' एवं ''सम–कुलपति'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और सम–कुलपति से हैं।

(झ) ''परीक्षा नियंत्रक'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से है।

(ञ) ''वित्त नियंत्रक'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से है।

(ट) ''कोर्ट'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के कोर्ट से है।

(ठ) ''क्रेडिट फ्रेमवर्क'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के लिए रोजगार की भूमिका के सफलतापूर्वक अथवा कुशलतापूर्वक निर्वाहन हेतु सक्षमता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, कौशल, प्रज्ञता क्रेडिटों की मापित इकाईयों पर विकसित फ्रेमवर्क से है।

(ड) ''पाठ्यचर्या पैकेज'' का अभिप्राय योग्यता आधारित पाठ्यक्रम पैकेज से है जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, छात्र मैनुअल, प्रशिक्षक गाइड, प्रशिक्षण मैनुअल, आकंलन और मूल्यांकन दिशानिर्देश और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित ऐसी सभी सामग्री शामिल है, जो किसी भी व्यक्ति को विशेष रोजगार की भूमिका में लगाने के लिए अपेक्षित योग्यताओं तथा कौशलों एवं निष्पादन परिणामों को प्राप्त करने के लिए किसी छात्र को तैयार करने हेतु आवश्यक कौशल शिक्षा एवं शिक्षण प्रदान करना है।

(ढ़) ''डीन,'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के डीन से है।

(ण) ''उपाधि'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी भी तरह की उपाधि से है।

(त) ''दिल्ली'' का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है।

(थ) ''विभाग'' का अभिप्राय एक संकाय के भीतर शैक्षिक विभाग से है।

(द) ''डिप्लोमा'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए ऐसे सम्मान से है जो उपाधि नही है लेकिन यह प्रमाणित करता है कि प्राप्तकर्ता ने निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

(ध) ''कर्मचारी'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से है।

(न) ''संकाय'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के अध्ययन के संकाय से है।

(प) ''वित्त समिति'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है।

(फ) ''सरकार'' का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 239 (कक) के तहत इस रूप में नामित किया गया है।

(ब) ''हॉल'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास या कॉर्पोरेट जीवन की एक इकाई से है।

(भ) ''संस्था'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित एक शैक्षणिक संस्था से है।

(म) ''प्रशिक्षक'' का अभिप्राय विशेष रूप से अपने विशेष क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है।

(य) ''कदाचार'' का अभिप्राय संविधियों और अध्यादेश द्वारा निर्धारित कदाचार से है।

(कक) ''राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक'' का अभिप्राय संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक से है जो विशेष रोजगार हेतु शिक्षा, प्रशिक्षण, भर्ती के लिए बेंचमार्क बनने वाली किसी विशेष रोजगार की भूमिका में लगे या लगे होने की संभावना वाले व्यक्ति के लिए मापन योग्य निष्पादन परिणामों, कौशल तथा योग्यताओं को परिभाषित करता है।

(कख) ''राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी'' का अभिप्राय केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी से है।

(कग) ''राष्ट्रीय कौशल विकास निगमः का अभिप्राय केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से है।

(कघ) ''राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क'' का अभिप्राय कौशल के लिए योग्यता आश्वासन फ्रेमवर्क से है जो, किस प्रकार इस तरह के ज्ञान, कौशल अथवा योग्यता अपेक्षित है पर ध्यान दिये बिना सीखनें के परिणामों को परिभाषित करने के लिए ज्ञान तथा कौशलों के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता आयोजन करने के केन्द्र सरकार द्वारा यथाअधिसूचित राष्ट्रीय सिद्वांत पर आधारित है।

(कड़) ''अधिसूचना'' का अभिप्राय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है।

(कच) ''कुलानुशासक'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के कुलानुशासक से है।

(कछ) ''निर्धारित'' का अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई संविधियों, अध्यादेशों या विनियमनों द्वारा 'निर्धारित' से है।

(कज) ''रजिस्ट्रार'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से है।

(कझ) ''स्कूल'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और प्रशासित दिल्ली खेल' स्कूल से है।

(कञ) ''कौशल'' का अभिप्राय शिक्षा तथा प्रज्ञता के माध्यम से किसी रोजगार की भूमिका के सफलतापूर्वक तथा कुशलतापूर्वक निष्पादन हेतु अर्जित योग्यता तथा सक्षमता से है।

(कट) ''स्टाफ'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ से है।

(कठ) संविधि'', ''अध्यादेश'' और ''विनियम'' का अभिप्राय दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के संविधि, अध्यादेश और विनियमन से है।

(कड) ''शिक्षक'' का अभिप्राय दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में, या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी संस्थान / केंद्र में अनुदेश देने, शिक्षण या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है तथा उन्हें संविधियों द्वारा शिक्षकों के रूप में नामित किया गया है।

(कढ) ''विश्वविद्यालय'' का अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत निगमित दिल्ली खेल विश्वविद्यालय से है।

(कण) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

2. इन संविधियों में प्रयुक्त अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम मे उनके लिए प्रयुक्त किया गया है।

3. कुलाधिपति –

दिल्ली खेल विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 में निहित प्रावधानों के अलावा, निम्नलिखित को एतद्द्वारा आगे निर्धारित किया गया हैः

यदि कुलाधिपति का अभिमत है कि कुलपति जानबूझकर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से इनकार अथवा चूक करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकारी का कार्यालय में बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकारक है तो कुलाधिपति, इस प्रकार की जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा उक्त अधिकारी को हटा सकता है। कुलाधिपति को किसी भी जांच के विचाराधीन अथवा लंबित होने के दौरान भी ऐसे अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति होगी।

4. कुलपति –

अधिनियम की धारा 26 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित को एतद्द्वारा आगे निर्धारित किया गया हैः

(1) उच्चतम स्तर की योग्यता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता तथा संस्थागत प्रतिबद्धता वाले व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(2) नियुक्त होने वाला कुलपति एक प्रतिष्ठित खेल विद्वान या अंतरराष्ट्रीय ख्याति का खिलाड़ी हो अथवा विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के पद पर दस साल का अनुभव रखता हो या किसी प्रतिष्ठित खेल संस्थान / शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक संगठन में समकक्ष पद पर कम से कम दस साल का अनुभव रखता हो ।

(3) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। चार सदस्यों की एक समिति द्वारा चयनित तीन नामों (वर्णमाला क्रम में लिखे गए) के एक पैनल से कुलाधिपति द्वारा अनुवर्ती कुलपतियों की नियुक्ति की जाएगीः –

(क) राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के पूर्व या वर्तमान निदेशक – सदस्य

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्व या वर्तमान निदेशक – सदस्य

(ग) प्रधान सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य सचिव (पदेन)।

खोजबीन–सह–चयन समिति तीन नामों का पैनल कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी

(घ) प्रतिष्ठित खिलाड़ी.

(4) कुलपति अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा केवल एक और कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा परंतु यह भी उपबंधित है कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पद पर नहीं रहेगा।

(5) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगीः

(i) कुलपति को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के समान वेतन का भुगतान किया जाएगा, जो पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर वृद्धि के अधीन होगा परन्तु यह भी उपबंधित है कि यदि कोई पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति (किसी राज्य या केंद्र सरकार से) कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसका वेतन इस तरह की पेंशन को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा।

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, कुलपति समय–समय पर निर्धारित ऐसे अवकाश, लाभ और अन्य भत्तों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(iii) कुलपति इस प्रकार के अंतिम लाभों और भत्तों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो समय–समय पर कुलाधिपति के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंः

परन्तु यह भी उपवंधित है कि जहां विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या संबद्ध किसी कॉलेज के कर्मचारी को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे किसी भी भविष्य निधि में योगदान जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें वह सदस्य है और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के उस भविष्य निधि खाते में उसी दर से अंशदान करेगा जिस दर पर वह उस व्यक्ति के कुलपति के रूप में नियुक्ति के ठीक पहले से अंशदान कर रहा था।

परन्तु आगे यह भी उपबंधित है कि जहां कोई ऐसा अधिकारी किसी पेंशन योजना का सदस्य रहा हो तो विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक अंशदान करेगा।

(iv) कुलपति अपने सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय की निःशुल्क कार का उपयोग कर सकता है तथा किराए का भुगतान किए बिना सुसज्जित आवास के उपयोग के हकदार होंगे और व्यक्तिगत रूप से कुलपति से इस प्रकार की कार और आवास के रखरखाव के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जायेगा।

(6) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(7) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, लेकिन वह वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो। .

(8) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने और ऐसे कर्मचारी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अधिकार होगा।

(9) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमनों के विधिवत पालन का अवलोकन करें तथा इस तरह के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनके पास सभी आवश्यक शक्तियां होंगी।

(10) कुलपति विश्वविद्यालय के मामलों पर नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णय को प्रभावी करेगा।

(11) स्थितिनुसार आवश्यकता पडने पर कुलपति के पास कुलाधिपति के अनुमोदन से कोर्ट, प्रबंधन बोर्ड, शौक्षिक परिषद, भवन एवं निर्माण समिति तथा वित्त समिति की बैठक बुलाने की शक्ति होगी।

(12) कुलपति रिक्त पद पर अध्यादेश में निर्धारित प्रक्रिया तथा सेवा की शर्ते एवं निबंधन के अनुसार एक बार में छह महीने से अधिक की अवधि के लिए ऐसे व्यक्तियों की अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकते हैं, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए आवश्यक समझे।

(13) कुलपति के पास विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने और इसके कामकाज में सहायता के लिए शिक्षकों /अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपने की शक्ति होगी। यदि कुलपति को प्रतीत होता है कि संबंधित शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और कार्यों में उचित योगदान देने में असमर्थ है तो उसके पास पद की निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय किसी भी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी से उत्तरदायित्व/अधिकार वापस लेने की शक्ति होगी ।

(14) कुलपति के पास विश्वविद्यालय में अनुशासन के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसी कोई भी शक्ति ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को सौंप सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

5. सम–कुलपति

(1) प्रत्येक सम–कुलपति की नियुक्ति बोर्ड द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगीः

परन्तु यह भी उपबंधित है कि यदि सम– कुलपति की सिफारिश बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जो या तो कुलपति द्वारा अनुशंसित व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है या बोर्ड के विचार–विमर्श हेतु कुलपति से किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

(2) सम–कुलपति का कार्यकाल कुलपति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगाः

परन्तु यह भी उपबंधित है कि सम–कुलपति अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पद पर नहीं बने रहेगा।

(3)(क) सम–कुलपति का वेतन कुलाधिपति के अनुमोदन से प्रबंधन बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

(ख) उप–खंड (क) में निर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त सम–कुलपति समय–समय पर निर्धारित ऐसे अवकाश, लाभों और अन्य भत्तों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(ग) प्रत्येक सम–कुलपति ऐसे अंतिम लाभों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो समय–समय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएगें।

(घ) प्रत्येक सम–कुलपति को अपने सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान किराए का भुगतान किए बिना, सुसज्जित आवास के उपयोग का उपयोग करने का अधिकार होगा तथा ऐसे आवास के रखरखाव के संबंध में व्यक्तिगत रूप से सम–कुलपति से कोई प्रभार नहीं वसूला जायेगा।

(4) कुलपति द्वारा समय–समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्रत्येक सम–कुलपति, कुलपति की सहायता करेगा तथा कुलपति द्वारा द्वारा सौंपे गए ऐसे कार्यो के निष्पादन के लिए प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करेगा।

6. डीन –

(1) खेल, शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श और छात्रों के कल्याण तथा ऐसे अन्य पहलुओं जिन्हें प्रबंधन बोर्ड आवश्यक समझे पर चर्चा करने के लिए डीन होंगे।

(2) प्रत्येक डीन को कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों या वरिष्ठ संकाय में से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह भी उपबंधित है कि कोई भी डीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पद पर नहीं बने रहेगा ।

(3) डीन का आवर्तन उन उपलब्ध प्रोफेसरों में से होना चाहिए जिनके पास प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन साल का अनुभव हो।

(4) जब डीन का पद रिक्त हो या जहां डीन रूग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त व्यक्ति द्वारा उसके पद के कर्तव्यों का निर्वाहन किया जायेगा।

(5) डीन उसे सौंपे गए कार्यात्मक क्लस्टर का प्रमुख होगा और सौंपे गए कार्यों में काम के मानकों के संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) डीन के कर्तव्य और उत्तरदायित्व वही होंगे जो अध्यादेश में निहित हैं।

7. रजिस्ट्रार –

(1) प्रबंधन बोर्ड रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रार की नियुक्ति धारा (29) के खंड (1) के अंतर्गत गठित चयन समिति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा कुलपति के नियंत्रण में कार्य करेगा।

(3) एक रजिस्ट्रार की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित होगी :

यह भी उपबंधित है कि एक रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अधिवर्षिता की आयु अर्थात 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) एक रजिस्ट्रार के पास शिक्षकों के अलावा ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा इस संबंध में यथानिर्दिष्ट किए गए सामान्य या विशेष आदेश से बनाए गए है।

(5) खंड (4) के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा किए गए किसी भी आदेश के खिलाफ कुलपति को अपील की जाएगी।

(6) किसी मामले में जहां जांच से यह प्रकट होता है कि किसी दण्ड पर कार्यवाही रजिस्ट्रार की शाक्तियों की सीमा से बाहर है तो ऐसी स्थिति में राजिस्ट्रार जांच के परिणाम अपनी सिफारिशों के साथ कुलपति को जैसा वे उचित समझे कार्यवाही हेतु रिपोर्ट करेगा।

यह भी उपबंधित है कि ऐसे मामले में किसी कर्मचारी पर कोई जुर्माना लगाने वाले कुलपति के आदेश के खिलाफ प्रबंधन बोर्ड में अपील की जा सकती है।

(7) रजिस्ट्रार ऐसे अन्य कार्य करेगा जो अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों में यथानिर्दिष्ट हैं या प्रबंधन बोर्ड और कुलपति द्वारा समय–समय पर यथापेक्षित हैं।

(8) इस प्रकार नामित रजिस्ट्रार, संबंधित प्राधिकारी के संबंध में उत्तरदायी होगा –

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख और विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रशासनिक, शैक्षणिक, कानूनी मामलों के संबंध में या किसी अन्य मामले में जिन पर विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख प्रमाणित करने के लिए, प्रबंधन बोर्ड या विश्वविद्यालय के कुलपति निर्देश दे सकते हैं।

(ख) विश्वविद्यालय सभी संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगाा। जब तक कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है। वह विश्वविद्यालय की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) विश्वविद्यालय के आधिकारिक पत्राचार के संचालन करने और विश्वविद्यालय के सभी अभिलेखों के उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(घ) प्राधिकरण और उसके द्वारा नियुक्त समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी सूचनाएं जारी करेगा ।

(ड) प्राधिकारियों द्वारा गठित समिति (समितियों) और प्राधिकारियों की बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा ।

(च) आधिकारिक कार्यवाही और पत्राचार का संचालन करेगा ।

(छ) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के आदेशों का पालन करना जिसके लिए उसे विधिवत रूप से अधिकार प्राप्त होंगे।

(ज) कुलपति और प्रबंधन बोर्ड के निर्देशों का पालन करेगा और उनके अनुपालन का प्रतिवेदन जैसा भी मामला हो, कुलपति या प्रबंधन बोर्ड, को देगा।

(झ) कुलपति/बोर्ड के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमों अथवा कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा और कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा तथा उसके अभिवचनों को सत्यापित करेगा।

(ण) समय–समय पर विश्वविद्यालय के संबंध में सभी महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाहियों के बारे में कुलाधिपति/कुलपति को अवगत करायेगा और बोर्ड के समक्ष ऐसी सभी जानकारी देने के लिए बाध्य होगा जो उसके व्यवसाय के लेन–देन के लिए आवश्यक हो।

(9) यदि रजिस्ट्रार का पद रिक्त है या जब रजिस्ट्रार अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो कुलपति के पास विश्वविद्यालय के एक शिक्षक/अधिकारी को रजिस्ट्रार के कर्तव्यों को सौंपने का अधिकार होगा। जब तक कि नया रजिस्ट्रार अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या मौजूदा रजिस्ट्रार अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जैसा भी मामला हो।

(8) परीक्षा नियंत्रक –

(1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। तथापि, कुलपति के पास नियमित नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय के किसी भी प्रोफेसर को परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्यों को सौंपने का अधिकार होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के व्यवस्थित और समय पर संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने से संबंधित सभी अभिलेख शामिल हैं।

(3) परीक्षा नियंत्रक सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस प्रकार तैयार की गई योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को अधिसूचित करेगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक कुलपति के पूर्वानुमोदन से परीक्षा–केन्द्र (केन्द्रों) का निर्धारण करेगा और केन्द्र–अधीक्षक (अधीक्षकों) की नियुक्ति करेगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक के पास कुलपति के अनुमोदन से उड़न दस्ते/पर्यवेक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा ''परीक्षाओं एवं संबंधित गतिविधियों'' का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

(7) परीक्षा नियंत्रक का यह कर्तव्य है कि वह परीक्षाओं का स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करे तथा शीघ्रता से परिणाम घोषित करे।

(8) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों को अधिसूचित करेगा और शीघ्रता से विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से परिणामों को सार्वजनिक डोमेन पर भी डालेगा।

(9) परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं से संबंधित अभिलेखों का प्रभावी ढंग से और उन प्रणालियों के माध्यम से रखरखाव सुनिश्चित करेगा जिनसे शीघ्र पुर्नप्राप्ति सक्षम हो।

(10) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा और परीक्षा आयोजित कराएगा तथा अन्य सभी व्यवस्था करेगा तथा परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन, उससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के उचित निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(11) परीक्षा नियंत्रक छात्रों का आकड़ा संचयन अनुरक्षित करेगा।

(12) परीक्षा नियंत्रक मानद उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधि (उपाधियाँ) प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों के नाम (नामों) को अग्रेषित करेगा।

(13) परीक्षा नियंत्रक कुलपति के अनुमोदन से पेपर सेटर, टेबुलेटर, कोलेटर, मॉडरेटर, पर्यवेक्षक और उड़न दस्ते आदि नियुक्त करेगा, तथा परीक्षाओं से संबंधित कार्यों के उद्देश्य के लिए आमंत्रित व्यक्तियों और परीक्षकों, पेपर सेटर, मॉडरेटर आदि के यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता/मानदेय और पारिश्रमिक बिलों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी होगा।

(14) परीक्षा नियंत्रक, कुलपति के दिशा–निर्देश के अंतर्गत, परीक्षकों के बोर्ड की बैठकें आयोजित करने वाली सभी सूचनाएं जारी करेगा। बोर्ड के मध्यस्थों तथा परीक्षाओं के संबंध में नियुक्त समितियों की नियुक्ति करेगा तथा ऐसी सभी बैठकों के कार्यवृत्त को अनुरक्षित करेगा। वह कुलपति द्वारा सौंपी गई ऐसी समितियों के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(15) परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के दुराचार को तुरंत परीक्षा समिति और कुलपति के ध्यान में लाया जाएगा और उसका उचित रूप से निपटान किया जाएगा।

(16) परीक्षा नियंत्रक का परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और इस संबंध में रजिस्ट्रार की सभी शक्तियां अधिनियम, संविधियों तथा यथाअधिसूचित निर्धारित होंगी।

(17) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन का समय–समय पर समीक्षा करेगा।

(18) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगीः

यह भी उपबंधित है कि परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अधिवार्षिता की आयु अर्थात 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(19) परीक्षा नियंत्रक समय–समय पर कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा।

9. वित्त नियंत्रक –

(1) प्रबंधन बोर्ड वित्त नियंत्रक की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन करेगा।

(2) वित्त नियंत्रक की नियुक्ति खंड (1) के अंतर्गत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी (प्रथम वित्त नियंत्रक को छोड़कर, जिसे कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा) और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा कुलपति के नियंत्रण में कार्य करेगा।

(3) वित्त नियंत्रक की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगीः

यह भी उपबंधित है कि वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अधिवार्षिता की आयु अर्थात 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब वित्त नियंत्रक का पद रिक्त हो या जब वित्त नियंत्रक अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से वित्त नियंत्रक के रूप में अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, तो उसके कार्यों का निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।

(5) वित्त नियंत्रक करेगा–

(क) विश्वविद्यालय के धन का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और इसकी वित्तीय नीतियों के संबंध में सलाह दगां; तथा

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्यो का निष्पादन करेगा जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं अथवा संविधियों या अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित है :

परन्तु यह भी उपबंधित है वित्त नियंत्रक कुलपति के पूर्वानुमोदन के बिना ऐसी अन्य राशि जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है या एक लाख रुपये से अधिक का कोई निवेश नहीं करेगा या कोई व्यय नहीं करेगा।

(6) कुलपति और प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण के अधीन, वित्त नियंत्रक करेगा–

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक खाते और बजट तैयार करेगा और उन्हें वित्त समिति से अनुमोदन के बाद प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित वित्त नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करें कि उस वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय हेतु वित्त समिति द्वारा निर्धारित सीमाएं संबंधित पूर्व–निर्दिष्ट मूल्यों से अधिक नहीं हो, और धन उन्हीं उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता है जिनके लिए इसे प्रदान या आवंटित किया गया है।

(घ) खातों एवं बैंक शेष और निवेशों पर निरंतर निगरानी करेगा।

(ड) राजस्व के संग्रह की वृद्धि को देखेगा और संग्रह की पद्धति पर सलाह देगा।

(च) कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय निधि के उचित और समय पर निवेश के लिए उत्तरदायी होगा।

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की निधियों का निवेश इस प्रकार किया जाए जिससे विश्वविद्यालय को लाभ हो।

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टर को अद्यतन रखा जाए और विश्वविद्यालय में वार्षिक रूप से उनके स्टॉक की जांच की जा रही है।

(झ) किसी भी अनधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा और दोषी व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी को उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देगा।

(ण) विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय से कोई सूचना या रिपोर्ट जो उसके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझी जाती हो, को लेगा।

(ट) किसी भी वित्तीय मामले में या तो स्वेच्छा से या मांगे जाने पर अपनी सलाह देगा।

(ठ) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा, जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जा सकते हैं, या उसके अधीन बनाए गए अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए हों।

(ड) विश्वविद्यालय की लेखा वहियों की आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षा कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय में सृजित विशेष निधियों जैसे पूर्व छात्र निधि, छात्र कल्याण कोष, प्रायोजक और प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थापित किसी अन्य विशेष निधि का रखरखाव करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके खातों का रखरखाव किया जाता है और उक्त धन का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए निधि सृजित की गई।

(8) वित्त नियंत्रक द्वारा या प्रबंधन बोर्ड द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दी गई कोई भी रसीद विश्वविद्यालय के धन के भुगतान के लिए पर्याप्त निर्वहन करेगी।

10. प्रबंधन बोर्ड–

अधिनियम की धारा 11 में यथानिहित प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित को एतद्द्वारा आगे निर्धारित किया गया है:

(1) प्रबंधन बोर्ड के पास विश्वविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन की समग्र शक्ति होगी, जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई विधियों के प्रावधानों के अधीन होगी –

(i) नए विभागों, स्कूलों और केंद्रों तथा नए शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा।

(ii) विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने, और विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या में वृद्धि/कमी, आधारभूत संरचना और प्रयोगशाला की आवश्यकताओं तथा शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकताओं के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा।

(iii) शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्यों और सेवा की शर्तों को परिभाषित करना तथा शिक्षण और अन्य शैक्षणिक पदों का सृजन करेगा

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार शैक्षाणिक परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों व अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के लिए अर्हता और पात्रता की अन्य शर्ते तय करेगा।

(v) इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समितियों की सिफरिशों पर यथावश्यक ऐसे प्रोफेसरों, ऐसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य शिक्षकों एवं ऐसे शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

(vi) विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन के लिए विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन लेगा।

(vii) विजिटिंग प्रोफेसरों, सहायक संकाय, सम्मानपूर्वक सेवामुक्त प्रोफेसरों, अध्यक्ष प्रोफेसरों की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश प्रदान करेगा तथा ऐसी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तो का निर्धारण करेगा।

(viii) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पद सृजित करना; इसकी अर्हता, पात्रता, सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित करना और इसके अतिरिक्त नियुक्ति करने के तरीके को निर्दिष्ट करना।

(ix) कुलपति को छोड़कर सभी पदों पर नियुक्तियां करना। ऐसे सभी पदों के लिए बोर्ड अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा।

(x) विश्वविद्यालय में किसी भी कारण से व्यथित अनुभव करने वाले कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय देना या उनका निवारण करना।

(xi) संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों और छात्रों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करना।

(xii) परीक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यापक नीति/दिशा–निर्देश निर्धारित करना।

(xiii) अकादमिक परिषद या अन्य प्राधिकरण के प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात परीक्षकों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं/पर्यवेक्षकों आदि को देय पारिश्रमिक/मानदेय/यात्रा व्यय आदि निर्धारित करना।

(xiv) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण करना या हस्तांतरण की स्वीकृति देना।

(xv) विश्वविद्यालय में छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए विभिन्न पदक, पुरस्कार, सम्मान और प्रमाण–पत्र स्थापित करना। अकादमिक परिषद की सिफारिशों पर आधारित बोर्ड द्वारा पदकों/पुरस्कारों आदि की प्रकृति/मूल्य और उनकी पात्रता की शर्तों और दिशा–निर्देशों पर निर्णय लिया जाएगा।

(xvi) स्नातकोत्तर और/या स्नातक छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति, वज़ीफा, छात्रवृत्ति आदि स्थापित करना।

(xvii) विश्वविद्यालय में उपलब्ध कोष में बचत/आरक्षित निधि/अधिशेष के उपयोग और निवेश के तरीके को निर्धारित और अनुमोदित करना।

(xviii) विश्वविद्यालय के कुलपति अपनी शक्तियों को कुलपति की सिफारिशों पर सम–कुलपतियों, रजिस्ट्रारों, वित्त नियंत्रक या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या प्राधिकारी अथवा अपने द्वारा नियुक्ति किसी समिति को प्रत्यायोजित करना ।

(xix) अधिनियम अथवा संविधियों द्वारा यथाप्रदत्त अथवा लागू ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

(2) बोर्ड अधिनियम, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं।

(3) अकादमिक परिषद के प्रस्ताव के अनुसार बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक मामलों में नीति निर्धारण की आवश्यकता को अनुमोदित किया जाएगा। अकादमिक परिषद प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट या उसे सौंपे गए किसी भी मामले पर सलाह/प्रतिवेदन देगी।

11. खेल और शिक्षा परिषद–

अधिनियम की धारा 17 में यथानिहित प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित को एतद् द्वारा आगे निर्धारित किया गया है :

खेल और शिक्षा परिषद, विदेशी मूल के छात्रों और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और प्रवासी भारतीय (एनआरआई) छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश की नीतियों तथा प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करेगी।

12. वित्त समिति –

वित्त समिति का गठन, शक्ति, कार्य और बैठक अधिनियम की धारा 20 के अनुसार होंगी।

13. भवन एवं निर्माण समिति –

अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (1 और 2) में यथानिहित प्रावधानों के अलावा, निम्नलिखित को एतद्द्वारा आगे निर्धारित किया गया है:

(1) भवन और निर्माण समिति में अध्यक्ष के रूप में कुलपति और बोर्ड द्वारा नामित छह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) कुलपति को छोड़कर, भवन एवं निर्माण समिति के सभी सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे जिसे दो और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है

(3) भवन और निर्माण समिति विश्वविद्यालय के विकास और विस्तार हेतु उपयुक्त योजनाओं की रूपरेखा तैयार करके उसे प्रतिपादित करेंगे और यह किसी भी मामले पर बोर्ड और शैक्षणिक परिषद को सलाह देगी जिसे, वह विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे।

(4) भवन और निर्माण समिति की बैठक ऐसे अंतराल पर होगी जो वह समीचीन समझे, लेकिन यह वर्ष में कम से कम दो बार हो।

14. परीक्षा समिति –

अधिनियम की धारा 22 में यथानिहित प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित को एतद् द्वारा आगे निर्धारित किया गया है :

(1) परीक्षा समिति में अध्यक्ष के रूप में कुलपति और सदस्य–सचिव के रूप में परीक्षा नियंत्रक शामिल होंगे। उसमें कुलपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले पांच और सदस्य भी शामिल होंगे।

(2) समिति के सदस्यों के कर्तव्य, उत्तरदायित्व, कार्य और कार्यकाल अध्यादेश में निर्धारित किए जाएंगे।

15. चयन समितियां –

अधिनियम की धारा 22 में यथानिहित प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित को एतद् द्वारा आगे निर्धारित किया गया है :

(1) प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रबंधन बोर्ड को सिफारिशें करने के लिए चयन समितियां गठित की जाएंगी।

(2) प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :–

(i) कुलपति समिति के अध्यक्ष के रूप में।

(ii) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्;

(iii) एक सम–कुलपति/डीन (बोर्ड द्वारा नामित);

(iv) विभाग/स्कूल प्रमुख (यदि वह प्रोफेसर है)

(v) प्रत्येक विभाग/स्कूल/केंद्र/पद हेतु प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित कम से कम सात नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तीन विशेषज्ञ।

(vi) कुलपति द्वारा नामित यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/दिव्यांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद (प्रोफेसर रैंक का हो) होगा। यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी उम्मीदवार आवेदक है और चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों मे से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित न हो, चयन समिति के पांच सदस्य (जिनमें कम से कम दो विशेषज्ञ शामिल होंगे) खंड (2) के तहत गठित चयन समिति की बैठक के लिए कोरम का निर्माण करेंगे।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेजों के प्रमुखों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् –

(i) कुलपति समिति के अध्यक्ष के रूप में;

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव/सचिव अथवा उनके नामित।

(iii) कुलपति द्वारा नामित प्रबंधन बोर्ड का एक सदस्य;

(iv) प्राचार्य/निदेशक पद के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित व्यवसायी व्यक्ति;

(v) कुलपति द्वारा नामित यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/दिव्यांग श्रेणिया का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अधिकारी/शिक्षाविद (समूह–अ रैंक का हो) होगा। यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी उम्मीदवार आवेदक है और चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों मे से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित न हो, चयन समिति के पांच सदस्य (जिनमें उक्त श्रेणी iv से कम से कम एक व्यक्ति शामिल होगा) खंड (3) के तहत गठित चयन समिति की बैठक के लिए कोरम का निर्माण करेंगे।

(4) शैक्षणिक कर्मचारियों के अलावा, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात–

(i) समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलपति या उसके नामित विश्वविद्यालय के सम–कुलपति के रैंक से नीचे का नहीं होगा।

(ii) रजिस्ट्रार;

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव/सचिव अथवा उनके नामित।

(iv) कुलपति द्वारा नामित यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अधिकारी/शिक्षाविद समूह–अ रैंक का होगा। यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी उम्मीदवार आवेदक है और चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों मे से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित न हो, परन्तु यह भी उपबंधित है कि आवश्यकतानुसार, दो विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा उपरोक्त चयन समिति में नामित किया जा सकता है। खंड (4) के तहत गठित चयन समिति की बैठक हेतु तीन कोरम होंगे।

(5) कर्मचारियों की संबंधित श्रेणीयों हेतु उपरोक्त सभी चयन समितियाँ सीधी भर्ती तथा कैरियर अग्रिम योजना सहित पदोन्नति के लिए समान होंगी।

(6) अन्य पदों के लिए चयन समितियाँ जो उपरोक्त (2) से (4) के अंतर्गत नहीं आती हैं, का गठन प्रबंधन बोर्ड/कुलपति द्वारा किया जाएगा।

(7) सिफारिशें करने के लिए इस संविधि के अंतर्गत गठित चयन समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो अध्यादेशों में निर्धारित की गई है।

16. नियुक्ति की विशेष पद्धति –

इस संविधि में कुछ भी निहित होने के बावजूद, बोर्ड जैसा उचित समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर विश्वविद्यालय में किसी अन्य समकक्ष शैक्षणिक पद अथवा उच्च शैक्षणिक विशिष्ट व्यक्ति या अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित व्यवसाय में उच्च पेशेवर लब्धियों वाले व्यक्ति को प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर का पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है।

17. अन्य समितियां –

(1) विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी जितना वह उचित समझे उतनी अनेक स्थायी या विशेष समितियाँ नियुक्त कर सकता है और ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) धारा 22 के तहत नियुक्त कोई भी समिति, उसे सौंपे गए किसी भी विषय पर कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई करने से पूर्व, यदि कोई हो, तो इसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से इसकी पुष्टि की मांग करेगी।

18. स्पोर्ट्स स्कूल –

(1) प्रत्येक विभाग और स्कूल ऑफ स्टडीज में पाठ्यक्रम के निर्माण और उसके नियमित अद्यतन से संबंधित मामलों सहित, जैसी भी स्थिति हो, विभाग या स्कूल के शैक्षणिक मामलों पर सलाह देने के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) अध्ययन बोर्ड की संरचना और उसके कार्यों को अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

19. सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/नई पेंशन योजना/अवकाश नियमावली/चिकित्सा नियमावली/आचरण और अपील नियमावली/सीसीएस (सीसीए) नियमावली और अन्य नियमावली –

कर्मचारियों की सेवा शर्तें और उसकी नियमावली अध्यादेश में यथानिर्धारित होंगे।

20. विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग हेतु सेवा की निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता –

(1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग, किसी भी प्रतिकूल अनुबंध के अभाव में, सेवा की निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे, जैसा कि संविधियों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(2) प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग के सदस्य को लिखित अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक अनुबंध की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा की जाएगी।

21. विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों हेतु सेवा की निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता –

विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग के अलावा, सभी कर्मचारी किसी भी प्रतिकूल अनुबंध के अभाव में, सेवा की निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे, जैसा कि अधिसूचित किया गया है।

22. विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखना –

(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में शक्तियां कुलपति में निहित होंगी, जो अपनी सभी या किसी भी शक्ति को, जैसा वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।

(2) कुलपति अनुशासन बनाए रखने के लिए जैसा वह उचित समझे ऐसी कार्रवाई करने के लिए तथा अनुशासन बनाए रखने से संबंधी अपनी शक्तियों की व्यापकता को बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी छात्र या छात्रों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए खारिज या निष्कासित किया जा सकता है और एक निश्चित अवधि के लिए विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेज में अध्ययन के पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है, या आदेश में निर्दिष्ट राशि के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या परीक्षाओं से एक या अधिक वर्षों के लिए वंचित किया जा सकता है या उस परीक्षा या परीक्षाओं से संबंधित छात्र या छात्रों के परिणाम को, जिसमें वह उपस्थित हुआ है या वे उपस्थित हुए हैं, को रद्द कर सकता है।

23. अन्य परिसर –

अन्य भवनों/अन्य परिसरों का विस्तार आवश्यकतानुसार अनुमेय होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एलिस वाज़ आर., सचिव (उच्च शिक्षा)

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 28th January, 2022

No. F.(2)/DHE(9)(1)/DSU/2015-16/567.—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section (42) read with section (41) of the Delhi Sports University Act, 2019 (Delhi Act 01 of 2020), Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following First Statutes of the Delhi Sports University, Delhi, namely:—

1. Short title and Commencement:- (1) These Statutes may be called the Delhi Sports University, Delhi (First) Statutes, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions:-(1) In these Statutes, unless the context otherwise requires:-

(a) **"Academic Staff"** means such categories of staff as are designation by the Statute to be the academic staff of the University.

(b) **"Board"** means the Board of Management of the University.

(c) **"Campus"** means the unit established or constituted by the University for making 'arrangement for instruction/ sports training or research or both within the territorial jurisdiction of National Capital Territory of Delhi.

(d) **"Competency"** means the ability to use acquired knowledge and learning and development of character for performing a job role successfully and efficiently.

(e) **"Centre"** means the Centre for Community Outreach and Extension Services of the University and Centre for Professional Excellence in Sports of the University.

(f) **"Certificate"** means such award granted by Delhi Sports University certifying that the recipient has successfully completed a course of study as prescribed.

(g) **"Chancellor" "Vice Chancellor" and "Pro-Vice Chancellor"** means the Chancellor, the Vice Chancellor and Pro Vice Chancellor of the University.

(h) **"Controller of Examination"** means Controller of Examinations of the University

(i) **"Controller of Finance"** means Controller of Finance of the University.

(j) **"Court"** means the Court of the University.

(k) **"Council of Sports and Academics"** means the Council of Sports and Academics of the University.

(l) **"Curriculum package"** means the competency based curriculum package consisting of syllabus, textbooks, student's manual, trainers guide, training manual, assessment and evaluation guidelines and all such material, including electronic material, data analysis required to impart sports training/education and training/teaching to prepare a student to achieve high performance in his/her choice of sports disciplines and also prepare him/ her for particular job in the various spheres of market;

(m) **"Deans"** means the Dean of the University.

(n) **"Degree"** means any such degree, as may be specified by the University Grants Commission, by notification in the Official Gazette, under section 22 of the University Grants Commission Act, 1956.

(o) **"Delhi"** means the National Capital Territory of Delhi.

(p) **"Department"** means a Sports Academic Department within a Faculty;

(q) **"Diploma"** means such award, not being a degree, granted by the University/School certifying that the recipient has successfully completed a course of study as prescribed;

(r) **"Employee"** means any person appointed by the University;

(s) **"Faculty"** means a Faculty of Studies of the University;

(t) **"Finance Committee"** means the Finance Committee of the University;

(u) **"Government"** means Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the constitution;

(v) **"Hostel"** means a unit of residence for the students of the university/school

(w) **"Institution"** means an academic institution established or maintained by the University;

(x) **"Instructors"** means persons appointed specifically for imparting skills in their specialized zones;

(y) **"Knowledge Partner"** means any organization engaged for imparting training/coaching/research through qualified professionals

(z) **"Misconduct"** means a misconduct prescribed by the Statutes and the Ordinance;

(aa) **"Notification"** means a notification published in the official Gazette;

(ab) **"Proctor"** means the Proctor of the University;

(ac) **"Prescribed"** means prescribed by the Statutes or Ordinances or regulations made under this Act;

(ad) **"Registrar"** means the Registrar of the University;

(ae) **"School"** means a Delhi Sports School established and administered by the University;

(af) **"Senate"** means the Senate of the University

\ (ag) "**Staff**" means all teaching and non-teaching staff of the University/School;

(ah) **"Statutes",** "**Ordinances**" and "**Regulations**" mean the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;

(ai) **"University"** means the **Delhi Sports University** as incorporated under this Act;

(aj) **"University Grants Commission"** means University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956.

(ak) **"University School of Studies"** means University Schools of Studies as set up by the University.

(2) Words and expressions used in these statutes but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Chancellor of the University—**

In addition to the provisions as contained in the section 10 of the Delhi Sports University Act, the following is hereby further prescribed

If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses in carrying out the provisions of the act or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the continuance of such officer in the office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the said Officer. The Chancellor shall have power to suspend such Officer or in contemplation of any enquiry.

4. **The Vice-Chancellor:—**

In addition to the provisions as contained in the section 26 of the Act, the following is hereby further prescribed:

(1) Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellors.

(2) The Vice Chancellor to be appointed should be a distinguished sports scholar or a sportsperson of international eminence or a sports-coach of international eminence or a Professor in a reputed sports Institutions/Academy with ten years of experience

(3) The first Vice-Chancellor will be appointed by the Chancellor. Subsequently Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names (written in the alphabetical order) selected by a Committee of four members constituted by the Government :—

(a) Former or present Director of National Institute of Sports, Patiala. -Member

(b) Former or present Director of Sports Authority of India/ Director (Sports), GNCT of Delhi . -Member

(c) Distinguished sports person of international stature. -Member

(d) Principal Secretary/Secretary, Higher Education Department, Government of NCT of Delhi. - Member Secretary (ex-officio)

The Chairperson of the search Committee shall be nominated from amongst the Committee members. Search-cum-Selection Committee shall forward the panel of three names to the Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date of joining his/her office and shall be eligible for reappointment only for one more term;

Provided that the person appointed as Vice-Chancellor shall cease to hold office on completion of seventy years of age or as prescribed by the University Grants Commission from time to time.

(5) The emoluments and other conditions of service of the Vice Chancellor shall be as follows:

(i) The Vice-Chancellor shall be paid a salary at par with Vice-Chancellor of a Central University, which may be subject to enhancement on mutually agreed terms.

Provided that if a person in receipt of any pension (from any State or Central Government) is appointed as Vice Chancellor, his /her salary shall be fixed after taking into consideration such pension.

(ii) In addition to the salary specified in sub clause (i), the Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and other allowances as prescribed from time to time.

(iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Board with the approval of the Chancellor from time to time;

Provided that where an employee of the University or of any other University or any college maintained by or affiliated to such other University is appointed as the Vice-Chancellor, he/she may be allowed to continue to any provident fund of which he/she is a member and the University shall contribute into the accounts of such person in that Provident fund at the same rate at which such person had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor of the University shall make necessary contribution to such scheme.

(iv) The Vice-Chancellor shall be entitled to the free use of the University car and, without payment of rent, to the use of furnished residence throughout his/her term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor personally in respect of the maintenance of such car and residence.

(6) The Vice-Chancellor shall Chair the meetings of the Court in absence of the Chancellor.

(7) The Vice –Chancellor shall be entitled to be present at and address any meeting of any other authority or any other body of the University but shall not be entitled to vote unless he/she is a member of such authority or body.

(8) The Vice-Chancellor shall be empowered to grant leave to any employee of the University and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such employee during his/her absence.

(9) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the act, the statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he/she shall have all the powers necessary to ensure such observance.

(10) The Vice-Chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall give effect to the decision of all the authorities of the University.

(11) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meeting of the Court with the approval of Chancellor. Vice Chancellor shall have the power to convene or cause to be

convened the meetings of the Board of Management, the Senate, the Building and Works Committee, and the Finance Committee as and when required.

(12) The Vice-Chancellor may make short-term appointments against the vacant post for a period not exceeding six months at a time, of such persons as he/she may consider necessary for the functioning of the University on such terms and conditions and procedure as prescribed in the ordinance.

(13) The Vice-Chancellor shall have the power to assign additional responsibilities to the teachers/officers/staff for achieving the objectives of University and assist in its functioning. He/she shall also have authority to withdraw responsibilities/authority from any teachers/officers/staff at any time even before completion of stipulated term of office; in case he/she feels that the concerned teachers/officers/staff is unable to contribute fairly in the objectives and functions of the University.

(14) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such power to such officer or officers as he may deem fit.

5. Pro Vice-Chancellors:—

(1) Every Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Board on the recommendation of the Vice-Chancellor:

Provided that if the recommendation of the Vice-Chancellor is not accepted by the Board, the matter shall be referred to the Chancellor who may either appoint the person recommended by the Vice-Chancellor or request the Vice- Chancellor to recommend another person for consideration of the Board.

(2) The term of the Pro Vice-Chancellor shall be co-terminus with the term of Vice-Chancellor: Provided that a Pro-Vice-Chancellor shall cease to hold office on attaining the age of superannuation;

(3)(a) The salary of a Pro Vice-Chancellor shall be as decided by the Board of Management with the approval of the Chancellor.

(b) In addition to the salary specified in sub clause (a), Pro Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and other allowances as prescribed from time to time.

(c) Every Pro Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits as may be fixed by the Board of Management from time to time.

(d) Every Pro Vice-Chancellor shall be entitled, without payment of rent, to the use of a furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall on the Pro Vice-Chancellor personally in respect of maintenance of such residence.

(4) Every Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall also exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him by the Vice-Chancellor.

6. **The Deans:—**

(1) There shall be Deans as contained in section 28 of the Act to deal with academics, research, consultancy, sports training and students' welfare and to deal with such other aspects as the Board of Management deems it necessary.

(2) Every Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University for a period of three years and he/she shall be eligible for re-appointment:

Provided that a Dean on attaining the age of superannuation shall cease to hold office.

(3) Rotation of the Deans should be among the available Professors having at least three years of experience as Professor.

(4) When the office of the Dean is vacant or where the Dean is by reason of illness, absence or any other cause unable to perform the duties of his/her office, the duties of his/her office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Dean shall be the head of the functional cluster assigned to him/her and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of work in the functions assigned to him/her.

(6) The duties and responsibilities of the Deans shall be as prescribed in the ordinance.

7. **The Registrars:—**

(1) The Board of Management shall constitute a Selection Committee for the appointment of the Registrars.

(2) Every Registrar as contained in the section 29 of the Act shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of the Selection Committee constituted under clause

(1) and he shall be a whole-time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(3) The Registrar shall hold office for a term of five years from the date of his/her joining office and shall be eligible for reappointment only for one more term

Provided that the person appointed as Registrar shall cease to hold office on completion of sixty-two years of age.

(4) The emoluments and other conditions of service of a Registrar shall be such as prescribed by the Ordinances:

Provided that a Registrar shall retire on attaining the age of superannuation i.e. 62 years as prescribed by University Grants Commission.

Provided further that the serving officers of the Government who are also appointed as the Registrar, shall retire on the age of superannuation as prescribed by the Government.

(5) A Registrar shall have the power to take disciplinary action against such employees, excluding teachers, as may be specified by the Board of Management by general or special order made in this behalf.

(6) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order made by the Registrar in clause (5).

(7) In cases where an inquiry discloses that a punishment beyond the powers of the Registrar is called for, the Registrar shall, consequent to the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor with his recommendations. The Vice Chancellor, after considering the recommendations of Registrar, shall take such action as deem fit and appropriate.

Provided that in such a case, an appeal shall lie to the Board of Management against an order of the Vice- Chancellor imposing any penalty on an employee.

(8) The Registrar shall perform such other functions as may be specified in the Act, Statutes, Ordinances or Regulations or as may be required from time to time by the Board of Management and the Vice-Chancellor.

(9) A Registrar so designated shall, in relation to the authority concerned would be responsible: -

(a) To ensure the safe custody of the University records and the common seal of the University and also to authenticate records on behalf of the University in respect of matters administrative, academic, legal, or any other matter on which the Board of Management or Vice Chancellor of the University may so direct;

(b) To act as the custodian of all the properties of the University unless otherwise provided for by the Board of Management. He shall be responsible for proper maintenance and up keeping of properties and assets of the University;

(c) To conduct the official correspondence of the University with the approval of Vice Chancellor and to be responsible for the proper maintenance of all the records of the University;

(d) To issue all notices and convene meetings of the authority and for the Committee appointed by authority;

(e) To keep the minutes of the meetings of the authorities and the committee(s) constituted by authorities;

(f) To conduct the official proceedings and correspondence;

(g) To carry out the orders of various authorities of the University for which he shall be duly empowered;

(h) To carry out the directions of the Vice Chancellor and the Board of Management and to report compliance thereof to the Vice-Chancellor or the Board of Management as the case may be.

(i) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, with the prior approval of the Vice-Chancellor/Board and to sign legal documents, and to verify pleadings thereof;

(j) To keep the Chancellor/Vice-Chancellor appraised of all significant legal proceedings in respect of the University from time to time and shall be bound to place before the Board all such information as may be necessary for transaction of its business;

(10) If the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Vice-Chancellor shall have the authority to assign the duties of the Registrar to a officer of the University until the new Registrar assumes his office or until the existing Registrar attends to the duties of his office, as the case may be.

8. The Controller of Examinations:- (1) The Controller of Examination as contained in the section 32 of the Act shall be appointed by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committee constituted by the Board. He shall be a whole-time salaried officer of the University. However, the Vice-Chancellor shall have the authority to assign the duties of Controller of Examination to Registrar/ Professor of the University until a regular appointment is made.

(2) The Controller of Examinations shall be responsible for the orderly and timely conduct of examinations of the University. He shall be responsible for custody of records pertaining to his work. This includes all records related to the conduct of examinations and declaration of results.

(3) The Controller of Examinations shall be responsible for preparing the examinations scheme both for theory and practical examinations and shall also be responsible to conduct the examinations as per scheme so prepared.

(4) The Controller of Examinations shall notify the University examinations through an academic calendar of examination.

(5) The Controller of Examinations shall fix the examination centre(s) and appoint centre superintendent(s) with the prior approval of the Vice-Chancellor.

(6) The Controller of Examinations shall have powers to cause "examinations and related activities" inspected by flying squad/observer or any person appointed by him with the approval of Vice-Chancellor.

(7) It is the duty of the Controller of Examinations to ensure free, fair and smooth conduct of examinations and declare results expeditiously.

(8) The Controller of Examinations shall notify the results of the University examinations and also put the results in the public domain through the University website in an expeditious manner.

(9) The Controller of Examinations shall ensure maintenance of the records related to the examinations in an efficacious manner and through systems which enable quick retrieval.

(10) The Controller of Examinations shall be the ex-officio Member-Secretary of the Examination Committee of the University and shall conduct the examinations and make all other arrangements thereof and be responsible for due execution of all processes connected therewith, subject to the superintendence of the Examinations Committee.

(11) The Controller of Examinations shall maintain a database of students.

(12) The Controller of Examinations shall forward name(s) of candidates for conferment of degree(s) except honorary degrees.

(13) The Controller of Examinations shall appoint paper setters, tabulators, collators, moderators, observers, and flying squads etc. with the approval of the Vice Chancellor, and shall be the controlling officer with regard to T.A./D.A./honorarium and remuneration bills of examiners, paper setters, moderators etc. and the persons invited for the purpose of the works related to examinations.

(14) The Controller of Examinations shall issue under the direction of the Vice Chancellor, all notices convening meetings of board of examiners. Board of moderators and of the committees appointed in connection with examinations and maintain the minutes of all such meetings. He shall act as member secretary of such committees as assigned by Vice-Chancellor.

(15) The Controller of Examinations shall ensure that any malpractices related to examinations shall immediately be brought to the notice of the Examinations Committee and the Vice Chancellor and be suitably dealt with.

(16) The Controller of Examinations shall have administrative control over the employees of the examination section and have, in this regard, all the powers of the Registrar as prescribed in the Act, Statutes and as notified.

(17) The Controller of Examinations shall review from time to time the conduct of examinations of the University in order to ensure that high standards of probity are maintained in the examination systems of the University.

(18) The emoluments and other conditions of service of the Controller of Examinations shall be prescribed by the Ordinances.

(19) The Controller of Examinations shall discharge any other responsibilities as assigned to him by the Vice-Chancellor from time to time.

9. **The Controller of Finance**:—

(1) The Board of Management shall constitute a Selection Committee for the appointment of the Controller of Finance.

(2) The Controller of Finance as contained in the section 30 of the Act shall be appointed by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committee constituted under Clause (1) except first Controller of Finance who shall be appointed by the Chancellor) and he shall be a whole-time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(3) The emoluments and other conditions of service of the Controller of Finance shall be prescribed by the Ordinances:

Provided that the Controller of Finance shall retire on attaining the age of superannuation i.e. 62 years as prescribed by the University Grants Commission.

(4) When the office of the Controller of Finance is vacant or when the Controller of Finance is, by reason of ill health, absence or any other cause, unable to perform his/her functions as the Controller of Finance, his/her functions shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Controller of Finance shall:—

(a) Exercise general supervision over the funds of the University and advise it as regards its financial policies; and

(b) Perform such other financial functions as may be assigned to him by the Board of Management or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances:

Provided that the Controller of Finance shall not incur any expenditure or make any investment exceeding one lakh rupees or such other amount as may be fixed by the Board of Management without the prior approval of the Vice- Chancellor.

(6) Subject to the control of the Vice-Chancellor and the Board of Management, the Controller of Finance shall-

(a) Prepare the Annual Accounts and the Budget of the University and present them to the Board of Management after its approval by the Finance Committee;

(b) Ensure compliance of finance rules and regulations as prescribed by the University;

(c) Ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for the year do not exceed the respective pre-specified values, and the money is spent for the purposes for which it has been granted or allotted.

(d) Keep a constant watch on the accounts, and the bank balance and investments;

(e) Watch the progress of collection of the revenue and advise on methods of collection.

(f) Be responsible for proper and timely investment of University funds with the approval of the Vice-Chancellor.

(g) Ensure that the funds of the University are invested in a manner which shall benefit the University.

(h) Ensure that the register of the buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and the stock checking thereof is being conducted in the University annually;

(i) Probe any unauthorized expenditure or other financial irregularities and suggest appropriate disciplinary action to competent authority against person(s) at fault;

(j) Call from any office of the University, any information or reports that are considered necessary for the performing his/her functions;

(k) Advise in any financial matter either suo-moto or on his/her advice being sought for;

(l) Perform such other functions as may be assigned to him by the Vice Chancellor or may be laid down by the Ordinances and Regulations made there under;

(m) Be responsible for getting internal and external audits of the books of accounts of the University.

(7) The Controller of Finance shall maintain the special funds created in the University like alumni fund, Student Welfare Fund, Sponsor and any other special fund set up by the Board of Management in order to ensure that their accounts are maintained and that the said money is utilized for the purposes for which the funds were created.

(8) Any receipt given by the Controller of Finance or by the person or persons duly authorized in this behalf by the Board of Management shall be a sufficient discharge for payment of money to the University.

10. **The Board of Management:—**

In addition to the provisions as contained in the section 11 of the Act, the following is hereby further prescribed:

(1) The Board of Management shall have the overall power of management and administration of the University subject to the provisions of the Act and Statutes made there-under:–

(i) To accord approval for creation of new departments, schools and centres and new educational research and sports development programmes

(ii) To accord approval for starting new courses, and to increase/decrease in student intake in different courses, the infrastructural and laboratory requirements and the requirements of teachers/officers/staff for different academic programmes in the University;

(iii) To create teaching, sports coaching and other academic posts; and to define the functions and conditions of service of the Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers, sports coaches and the academic staff employed by the University after taking into consideration the recommendations of the Senate;

(iv) To prescribe qualifications and other conditions of eligibility for teachers/ sports coaches and other academic staff after taking into account the recommendations of the Senate as per rules/regulations/guidelines prescribed by the UGC/AICTE/State Government/Sports Authority of India, from time to time;

(v) To make appointments of such Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Sports Coaches other teachers and such academic staff as may be necessary, on the recommendations of the Selection Committees constituted for the purpose;

(vi) To approve the panel of experts for selection of all teachers/officers/Sports Coaches/ employees of the University;

(vii) To provide guidelines for the appointment of Visiting Professors, Adjunct Faculty, Professor Emeritus, Chaired Professors and determine the terms and conditions of such appointment;

(viii) To create administrative, ministerial and other necessary posts; prescribe its qualifications, eligibility, other conditions of service and to specify the manner of appointment thereto;

(ix) To make appointments of all posts except Vice-Chancellor. Board will be the disciplinary authority for all such posts.

(x) To entertain, adjudicate upon or redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason, feel aggrieved;

(xi) To regulate and enforce discipline amongst the employees and students in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(xii) To prescribe broad policy/guidelines for appointment of Examiners;

(xiii) To prescribe the remuneration/ honorarium/travel expenditure etc. payable to the examiners/ experts/ consultants/ invigilators etc. after considering the proposal of the Senate or other authority;

(xiv) To transfer or accept transfers of any immovable or movable property on behalf of the University;

(xv) To institute various medals, prizes, awards and certificates to recognize outstanding performance of the students in the University. The nature/value of the medals/prizes etc., and their eligibility conditions and guidelines will be decided by the board based on the recommendations from the Senate;

(xvi) To institute fellowships, scholarships, studentships etc. for Postgraduate and/or Undergraduate students;

(xvii) To prescribe and approve the mode of utilization and investment of savings/reserve funds/surplus in Corpus available at the University;

(xviii) To delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, and on the recommendations of the Vice- Chancellor to the Pro Vice-Chancellors, the Registrars, the Controller of Finance or any other Officer, employee or authority of the University or to a Committee appointed by it;

(xix) To exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed on it by the Act or the Statutes.

(2) The Board shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by the Act, the Ordinances and the Regulations for the fulfillment of the objects of the University.

(3) All academic matters of the University needing policy framing shall be approved by the Board as per the proposal of Senate. The Senate shall advise/ report on any matter referred or entrusted to it by the Board of Management.

(4) Board of Management will authorize authorities of University to receive and utilize the Corporate Social Responsibility Funds from various entities

11. **Council of Sports and Academics:—**

In addition to the provisions as contained in the sections 17 of the Act, the following is hereby further prescribed:

The Council of Sports and Academics shall make recommendations to the Board with regards to policies and procedure of admission on supernumerary seats for Students of Foreign Origin & Persons of Indian Origin (PIO) and Non Resident Indian (NRI).

12. **The Finance Committee:—**

The constitution, power, function and meeting of the Finance Committee shall be in accordance with the section 20 of the Act.

13. The Building and Works Committee:—

In addition to the provisions as contained in the section 21 of the Act, the following is hereby further prescribed:

(1) The Building and Works Committee shall consist of Vice-Chancellor as Chairperson and not more than six members who shall be nominated by the Board.

(2) All the members of the Building and Works Committee, other than Vice-Chancellor, shall hold the office for the term of three years extendable up to two more years

(3) The Building and Works Committee shall design and formulate appropriate plans for development and expansion of the University, and it shall, advise the Board and Academic Council on any matter which it may deem necessary for the fulfillment of the object of the University.

(4) The Building and Works Committee shall meet at such intervals as it deem expedient, but at least twice in a year.

14. **The Examination Committee:—**

In pursuance of the provisions contained in Section 22 of the Act, an Examination Committee may also be constituted. Following is hereby prescribed for the Examination Committee.

(1) The Examination Committee shall consist of Vice-Chancellor as Chairperson and Controller of Examination as member-secretary. There will be five more members to be nominated by the Vice Chancellor.

(2) The duties, responsibilities, functions and term of members of the committee shall be prescribed in ordinance.

15. The Selection Committees:—

In pursuance of the provisions contained in Section 22 of the Act, a Selection Committee may also be constituted. Following is hereby prescribed for the Selection Committee:

(1) There shall be constituted Selection Committees for making recommendations to the Board of Management for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and other academic staff.

(2) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Sports Coaches, other teachers and other academic staff shall consists of the following members, namely:-

(i) The Vice-Chancellor as Chairman of the Committee.

(ii) An academician/ eminent Sports person nominated by the Chancellor

(iii) One Pro-Vice Chancellor/Dean (nominated by the Board)

(iv) Head of the Department/School (if he/she is a Professor)

(v) Three experts not connected with the University to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of not less than seven names approved by the Board of Management for each Department/School/Centre/Post

(vi) An academician (of the rank of professor) representing SC/ST/OBC/minority/women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

(vii) The Registrar as Member Secretary of the Committee

Five members including Chairman of the selection committee (who shall include at least two experts) shall form a quorum for a meeting of the selection committee constituted under clause (2).

(3) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of heads of colleges maintained by the University shall consists of the following members namely –

(i) The Vice-Chancellor as the Chairman of the Committee;

(ii) The Principal Secretary/Secretary, Higher Education of the Government of NCT Delhi or his nominee;

(iii) A member of the Board of Management to be nominated by the Vice Chancellor;

(iv) Three eminent professionals to be nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel approved by the Board for the post of Principal/Director;

(v) An officer/academician (of the rank of Group-A) representing SC/ST/OBC/ minority/women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

(vi) The Registrar as Member Secretary of the Committee.

Five members including Chairman of the selection committee (who shall include at least one person from category (iv) above) shall form a quorum for a meeting of the selection committee constituted under clause (3).

(4) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of various categories of staff, other than the academic staff, shall consist of the following members namely:

(i) The Vice-Chancellor or his nominee not below the rank of Pro Vice-Chancellor of the University as the Chairman of the Committee;

(ii) The Principal Secretary/Secretary, Higher Education of the Government of Delhi or his nominee;

(iii) The Registrar as Member Secretary of the Committee;

(iv) An officer/academician of the rank of Group-A representing SC/ST/OBC/ minority/women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category;

Provided that whenever necessary, two experts may be nominated by the Vice-Chancellor in the above Selection Committee.

The quorum for a meeting of a selection committee constituted under clause (4) shall be three.

(5) All the above selection committees shall be the same for direct recruitment as well as promotion including career advance scheme for respective category of employees.

(6) The Selection Committees for other posts which are not covered under clauses (2) to (4) above shall be constituted by the Board of Management/Vice-Chancellor.

(7) The procedures to be followed by the selection committees constituted under this statute shall, in making recommendations, be such as laid down in the Ordinances.

16. **Special Mode of Appointment:—**

Notwithstanding anything contained in the statute, the Board may invite a person of high academic distinction or sports excellence or a person with high professional accomplishments in the concerned field of sports or sports training or sports coaching or course of study or a highly distinguished person in sports administration to accept the post of Professor/Associate Professor or any other equivalent academic post or any other equivalent sports administration post in the University on such terms and conditions as it may deem fit.

17. Other Committees:—

(1) Any authority of the University may appoint as many standing or special committees as it may deem fit and may appoint, on such committees, such persons who are not members of such authority.

(2) Any committee appointed under clause 1 may deal with any subject delegated to it and before taking action, if any, shall seek confirmation of it from the authority appointing it.

18. The Sports School:—

(1) The Delhi Sports School shall have a Board of Studies to advice on academic matters of the Sports School, as the case may be, including matters relating to formulation of curriculum and its regular update.

(2) The composition of Board of Studies and its functions will be specified in the Ordinances

19. **General Provident Fund/Contributory Provident Fund/New Pension Scheme/Leave Rules/Medical Rules/Conduct and Appeal Rules /CCS (CCA) Rules and other rules-**

The service conditions of employees and its rules shall be as prescribed in Ordinances.

20. Terms and Conditions of service and code of ethics for the teachers and other academic staff of the University:—

(1) All the teachers/ Sports Coaches and other academic staff of the University shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of ethics as are specified by the Statutes and the Ordinances.

(2) Every teacher/ Sports Coach and member of the academic staff shall be appointed on a written contract.

(3) A copy of every contract referred to in clause (2) shall be deposited with the Registrar.

21. Terms and Conditions of service and code of ethics for other employees of the University:—

All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and the code of conduct as may be notified.

22. Maintenance of discipline amongst the students of the University:—

(1) The powers regarding discipline and disciplinary action in regard to the students of the University shall vest in the Vice-Chancellor who may delegate all or any of his powers, as he may deem fit.

(2) Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action as he may deem appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his powers, by order, direct that any student or students be expelled or rusticated for a specified period and not admitted to a course or courses of study in the University or college maintained by the University for a stated period, or be punished with a fine for an amount to be specified in the order, or debarred from an examination or examinations conducted by the University for one or more years or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations, in which he has or they have appeared, to be cancelled.

23. Other Campus—

Expansion of other buildings/other campus would be admissible in as and when necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ALICE VAZ R, Secy. (Higher Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.29 16:15:06 +05'30'